BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 25 सितम्बर, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अंकुर पुत्र रन्नू पंडित निवासी कस्बा व थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में थाना नरसेना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 11.07.2019 को थाना नरसेना पर मुअसं–129/19 धारा 363/376/506 भादवि व 5जी/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 26.08.2019 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 25.09.2024 को न्यायाधीश श्री संजय कुमार यादव (मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट-1 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अंकुर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री महेश राघव, श्री धर्मेन्द्र सिंह राघव, श्री भरत शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।